

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-5/1098/2021/10-11/259 भोपाल, दिनांक 18/1/23  
प्रेषक :—

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषय:**— छिन्दवाड़ा जिले में बोमल्या से सातगवारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.69 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

**संदर्भ:**— आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 011/2022-BHO/ दिनांक 25.04.2022

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Part-III of proposal is not submitted and uploaded on web portal.	मुख्य वनसंरक्षक की अनुशंसा पोर्टल में अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
2	The proposed diversion area is 6.98 km away from Satpura-Melghat tiger corridor. Comments of CWLW, Madhya Pradesh shall be submitted.	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र कॉरीडोर के बाहर होने के कारण अभिमत देने का कोई निर्देश नहीं है, परन्तु वन्यप्राणी से अभिमत प्राप्त किया जा रहा है, औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
3	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, इस संबंध में वन मण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	The CA scheme as per Para 2.8(iii) shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी द्वारा 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक तैयार की गई है, छायाप्रति संलग्न है।
5	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि यह मार्ग 1980 के पूर्व से निर्मित कच्चे मार्ग एक रेखण पर ही नवीन डामरीकृत मार्ग का निर्माण किया जावेगा।
6	No objection certificates of concerned departments (Irrigation, railway etc) need to be submitted.	आवेदक संस्थान ने जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
7	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही वनभूमि का Component wise breakup एवं क्षेत्रफल विवरण प्रस्तुत किया है, जो हार्डकॉपी में संलग्न है।

8	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने Detailed muck calculation and muck disposal scheme तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, छायाप्रति संलग्न है।
9	Administrative approval/sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.11.2019 की छायाप्रति संलग्न है।
10	Area calculation sheet needs to be provided.	आवेदक संस्थान ने प्रभावित वनभूमि की Area calculation sheet प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
11	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्राक्कलन स्वीकृति में मार्ग के दोनों ओर पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है।
12	When was the existing road constructed? If after 1980 and permission is not taken under FCA, then the proposal should include the area of existing road as well.	वन मण्डल अधिकारी ने अवगत कराया है कि यह मार्ग 1980 के पूर्व का है, जो ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट अपलोड की गई है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

४  
१५।।।/२०२३  
(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक १८।।।२३

पृ. क्रमांक/एफ-5/1098/2021/10-11/२६०

प्रतिलिपि:-

- 1— मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृक्ष, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- 2— वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- 3— कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

४  
१५।।।/२०२३  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),  
मध्यप्रदेश, भोपाल